(c) and (d) Yes, Sir. The Government has allowed import of 10,000 MTs of natural rubber at nil duty in order to bridge the gap between demand and supply, besides permitting the import of rubber at normal duty against special import licences granted to Export Houses, Trading Houses, etc.

High prices of pulses and edible oils

93. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government are aware that prices of pulses and edible oils in the country are very high and this is causing great hardship to weaker sections of society;

(b) whether Government propose to include these items in Public Distribution System;

(c) if so, the details of the proposal; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) The prices of pulses and edible oils are rising due to the gap between demand for and supply of these items. To augment their supplies in the market and containing their prices, in addition to taking measures for increasing their domestic production, these commodities have been placed under Open General Licence for imports. To mitigate the hardships of the poor, imported palmolein is being supplied through fair price shops under the Public Distribution System and cooperative stores at a price lower than the open market price. Pulses are also being supplied through the retail outlets of cooperative stores, Kendriya Bhandars and the State Supplies Corporations although this is not an item under the Public Distribution System.

(b) to (d) Imported edible Palmolein is already being allocated to States/UT. Governments by the Central Government for distribution through the PDS. These allocations are made to the States/UTs. subject to availability of stocks and demands received from them from time to time. During the year 1994-95, about 1.08 lakhs tonnes of RBD Palmolein was imported for distribution through the PDS and the same is expected to be distributed by the end of the current financial year.

In respect of pulses, however, in view of wide variations in consumer preferences for different varieties of pulses in different region of the country and the existing pattern of production, it is felt that contralined procurement of pulses by the Central Government agencies may not be feasible.

बीड़ी मजदूरों का कल्याण

*94. श्री सत्य प्रकाश मालवीय
श्री अनन्तराम जायसवाल

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में बीड़ी मजदूरों की वर्तमान संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में क्रमश: 1984 और 1990 में बीड़ी मजदूरों की संख्या कितनी-कितनी थी ;

(ग) क्या श्रम मंत्रालय से संबद्ध संसदीय समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ;

(घ) यदि हां, तो देशभर के मजदूरों के कल्याण के लिए इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में क्या सुझाव दिए हैं; और

(ङ) सरकार उन पर क्या कार्रवाई करने पर विचार कर रही है ?

श्रम मंत्री (श्री पी० एस० संगमा) (क) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, विभिन्न राज्यों में बीड़ी कर्मकारों की

अनुमानित संख्या निम्नानुसार है :—

राज्य	बीड़ी कर्मकारों की संख्या
असम . .	8000
आन्ध्र प्रदेश . .	625000
बिहार . .	392000
गुजरात . .	50000
कर्नाटक . .	355000
केरल . . .	136000
महाराष्ट्र . .	256000
मध्य प्रदेश . .	660000
उड़ीसा . .	152000
राजस्थान . .	100000
त्रिपुरा . .	5000
उत्तर प्रदेश . .	450000
पश्चिम बंगाल . .	450000
तमिलनाडु . .	621000

मध्य प्रदेश में वर्ष 1984 और 1990 में बीड़ी कर्मकारों की अनुमानित संख्या क्रमशः 3.02 लाख और 6 लाख थी। उत्तर प्रदेश में 1989 में बीड़ी कर्मकारों की अनुमानित संख्या लगभग 3.70 लाख थी। श्रम कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी सातवीं रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसे 20 दिसम्बर, 1994 को राज्य सभा में रखा गया था। समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें और उन पर की गई कार्रवाई संबंधी विवरण संलग्न है।

विवरण

बीड़ी कामगारों के बारे में श्रम तथा कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों का विवरण और उस पर कार्रवाई

1. बीड़ी कर्मकारों के सेकेन्द्रण वाले क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया जाना और उन्हें परिचय पत्र जारी किया जाना।	यह एक नियमित रूप में चलने वाली प्रक्रिया है। कल्याण आयुक्त तथा राज्य सरकार के प्राधिकारी यह कार्य करते हैं और परिचय पत्र जारी करते हैं।
2. बीड़ी कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी प्राप्त कराने के लिये समान विधान	भुवनेश्वर, त्रिवेन्द्रम तथा जयपुर में आयोजित श्रम मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठकों में क्षेत्रीय आधार पर बीड़ी कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने और संशोधन करने की जरूरत पर पहले ही विचार-विमर्श किया गया है और राज्य सरकारों को आवश्यक अनुदेश दे दिये गये हैं।
3. बीड़ी कर्मकारों के बीच सहकारी आंदोलन का संवर्धन	बीड़ी कर्मकारों में सहकारी समितियां बनाने के लिये राज्यों को पहले ही सिफारिश कर दी गई है।

4.	बीड़ी कर्मकारों को भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं के अन्तर्गत व्याप्ति	पहले से अधिकाश बीड़ी कर्मकार भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत शामिल हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार 12.99 लाख बीड़ी कर्मकार पहले से ही भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत शामिल है। बीड़ी कर्मकारों को पहले ही उन अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के माध्यम से चिकित्सा सेवा प्रदान की जा रही है जो श्रम कल्याण महानिदेशालय के अन्तर्गत उनके लिये ही अनन्य रूप से स्थापित की गई हैं।
5.	बिना ब्रांड की बीड़ियों पर उत्पादन शुल्क के छूट को हटाना	यह मामला वित्त मंत्रालय के साथ उठाया गया हैं। उन्होंने बड़ी संख्या में छोटे बीड़ी प्रतिष्ठानों से उत्पादन शुल्क वसूलने में व्यावहारिक कठिनाइयों का उल्लेख किया।
6.	डिस्पेंसरियों तथा अस्पतालों का आवधिक निरीक्षण	कल्याण आयुक्त पहले से ही ऐसे निरीक्षक कर रहे है।
7.	गृह निर्माण के लिये सहायता प्रदान करने हेतु प्रस्तावों को क्लियर करने के लिये प्रबोधन व्यवस्थाओं का प्रबंध करना।	मंत्रालय तथा श्रम कल्याण महानिदेशालय द्वारा पहले से ही प्रबोधन कार्य किया जा रहा है।
8.	बीड़ी कर्मकारों के बच्चों को छात्रवृत्ति 50 रुपये से बढ़ाकर 150रु० प्रति छात्र करना।	हाल ही मे सरकार ने छात्रवृत्ति की राशि 50 रू० से बढ़ा कर 125 रुपये कर दी है।

Representation from AITUC and other Trade Unions against anti-tobacco legislation

*95. SHRI N. GIRI PRASAD:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have received a representation from AITUC and other Central Trade Unions on the anti-worker bias in the proposed anti-beedi and anti-tobacco legislation; and

(b) steps proposed to review the whole issue?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) Yes, Sir.

(b) The matter has been taken up with the Ministry of Health and Family Welfare and a reply clarifying the position as advised by the Ministry of Health and Family Welfare is being sent. The Ministry of Health and Family Welfare had also convened a meeting with Members of Parliament on 16th February, 1995 but as per information available